बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक.....2177 29-10-2026

आ0सं0– 04/वि०–16–39/2025 (492804) माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2026 को सम्पन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक में कर्यो की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर संचिका उपस्थापित की जाय।

2. अतएव सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने पटल पर प्राप्त होने वाले सभी पत्र प्राप्ति की तिथि से अधिकतम तीन दिनों के अंदर संचिका के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निदेश का अनुपालन में शिथिलता अथवा अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

29.10.26

(विजय कुमार पाण्डेय)
निदेशक (प्रशासन)।

ज्ञापांक :– 04/वि०–16–39/2025 ..2177../ पटना, दिनांक....29-10-2026

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/सभी निदेशक/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप निदेशक/विशेष निदेशक/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी एवं सभी कर्मी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० प्रबंधक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29.10.26

निदेशक (प्रशासन)।